पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1075-I/2015 जिला–टीकमगढ़

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
वैश्य निवासी– बीजौर तहसील निवाडी,
जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– सीताराम पुत्र श्री गुबन्दी
2– ठाकुरदास पुत्र श्री सीताराम
3– जयनारायण पुत्र श्री सीताराम
निवासीगण– ग्राम नैगुवां तहसील निवाडी
जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 198-VI/1988 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.06.1991 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक ने ग्राम नैगुवां तहसील निवाडी में स्थित भूमि खसरा नं. 124 रकवा 0.308 है0, में से 0.120 है0, रकवा रोड में निकल जाने के उपरान्त शेष बची भूमि रकवा 0.188 में 1/2 हिस्सा रकवा 0.094 है0, भूमि विक्रेयता गुविन्दी पुत्र लल्ली जोकि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के पिता थे, से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.12.1985 को कीमत 2000/– रूपयें में विधिवत् रूप से क्रय की गयी थीं। तथा विक्रय पत्र उपरान्त बेची शुदा भूमि का विधिवत् नामान्तरण आवेदक के हक में शासकीय भूमि अभिलेख में दर्ज किया गया था।

2– यहकि, अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 21/85–86 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 04.06.1987 से खारिज की गयी।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के आदेश के विरूद्ध अनावेदगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 409/ब–6/86–87 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 13.05.1988 से निरस्त की गयी।

4– यहकि, अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 198–VI/88 प्रस्तुत किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.1991 से आशिंक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। कि वे नियम 27 के अन्तर्गत आवेदक को सूचना देकर नियमानुसार उचित आदेश पारित करें। उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Review 1075-I/15 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता के तर्क पर विचार किया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 198–छः/1988 में पारित आदेश दिनांक 17–6–91 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1 नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी । 2 अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। वैसे भी राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश दिनांक 17–6–91 से प्रकरण नियमानुसार उचित आदेश पारित किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । अतः इस रिव्यू आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यू प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	